प्रस्ताव सं0 –01

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा के मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.12.2018 की संम्पुष्टि।

मा0 कार्यकारिणी समिति अवगत हुयी दिनांक 17.12.2018 की कार्यवाही पढ़कर सुनायी गयी। चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव सं0 2 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जल को निर्देशित किया गया कि नियमावली तैयार कर समस्त पार्षदगणों को उपलब्ध कराया जाये। प्रस्ताव सं0 07 के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता सिविल को निर्देशित किया गया कि बनायी गयी कमेटी की बैठक 09, फरवरी तक बुलाकर कार्यवाही पूर्ण की जाये, प्रस्ताव सं0 10 के सम्बन्ध में सहायक अभियंता (वि0/या0) को निर्देशित किया गया कि ई0एस0एस0एल0 कम्पनी को पत्र भेजा जाये, प्रस्ताव सं0 12 के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता को शीघ्र उपविधि बनाकर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, प्रस्ताव सं0 13 के सम्बन्ध में लेखाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आगामी सदन की बैठक में अनुपूरक बजट के साथ अद्यतन आय–व्यय के आकड़े प्रस्तुत किये जाये, प्रस्ताव सं0 14 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जल को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र उपविधि बनाकर प्रस्तुत की जाये, के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये गये।

1. सर्वश्री हेमन्त भारती के पत्र दिनांक 26.11.2018 पर पृष्ठांकित हस्ताक्षर पंकज अरोड़ा, जय शर्मा, आदि पार्षदगण द्वारा नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमियों को अतिक्रमणकारियों /भूमाफियाओं से बचाने हेतु उन पर दुकानों का निर्माण कर नगर निगम राजस्व हित में आवंटित कराये जाने की मांग की गयी है, पर चर्चा के उपरान्त निर्णय हुआ कि निगम की रिक्त पड़ी भूमियों का चिन्हांकंन कर सुरक्षा हेतु उपाय कर तार बन्दी कराते हुये निगम हित में उपयोग किया जाये।

2. सर्वश्री ध्रुव नारायण शर्मा पार्षद वार्ड सं0 64 पत्र दिनांक 15.12.2018 कस्तूरबा गांधी प्रसूति अस्पताल गांधी पार्क, चौक बाजार, मथुरा का पुनः जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग की गयी है।
3. डा0 जे0एस0 जाट, राष्ट्रीय महा सचिव, आदर्श जाट महासभा का पत्र दिनांक 24. 11.2018, लक्ष्मी नगर जमुनापार के तिराहे पर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी की मूर्ति लगवाये जाने की मांग की गयी है।

उक्त प्रस्तावों पर चर्चा के उपरान्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.12.2018 की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0 –2

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 की उपधारा 6 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो उपधारा 5 अधीन अपने उपधारा 4 के अन्तर्गत निर्वाचन के 1 वर्ष पश्चात सेवा निवृत्त हो के सेवानिवृति सम्बन्धी विषय मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। मा0 कार्यकारिणी समिति अवगत हुयी। चर्चा के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सभापति महोदय द्वारा लॉटरी डालकर कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों सर्वश्री हेमन्त अग्रवाल उप–सभापति, श्रीमती अंजली, श्री रूप सिंह, श्री विष्णु, श्री ध्रुव नारायण शर्मा एवं श्री वैभव अग्रवाल जी को कार्यकारिणी समिति से सेवानिवृत्त किया गया। सेवानिवृत्त सदस्यों के हुये रिक्त स्थान को भरने हेतु प्रस्ताव मा0 सदन में प्रस्तुत किया जाये।

ह0– मुकेश आर्य बन्धु
महापौर
दिनांक – 31.01.2019